# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

**शिमला, मंगलवार, 19 अगस्त, 2014/28 श्रावण, 1936**

**हिमाचल प्रदेश सरकार**

**श्रम एवं रोजगार विभाग**

अधिसूचना

शिमला–171002, 14 अगस्त, 2014

**संख्याः श्रम (ए) 4–1/2014–बी.ओ.सी.डब्ल्यू.**––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञता समिति से परामर्श के पश्चात्, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए)4–6/2007–बी. ओ. सी. डब्ल्यू तारीख 4 दिसम्बर, 2008, द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में

तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम.**——इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) संशोधन नियम, 2014 है।

2. **नियम 277 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार तथा सेवा शर्ते विनियमन) नियम, 2008 (जिन्हें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 277 में "5,000 / —रूपए" अंकों और शब्दों के स्थान पर "10,000 / —रूपए" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

3. **नियम 278 का संशोधन.**——उक्त नियमों के नियम 278 में,——

(क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात् :—

**"हिताधिकारी के नामनिर्देशितियों, आश्रितों को मृत्यु—प्रसुविधा।"।**

(ख) उप—नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप—नियम रखा जाएगा, अर्थातः—

"(1) बोर्ड, दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु की दशा में केवल ₹ 1,00,000 / — (एक लाख रूपए केवल) की रकम और प्राकृतिक कारणों से या किसी अन्य कारण से, जो उपरोक्त के अन्तर्गत नहीं आता है, से हुई मृत्यु की दशा में ₹ 50,000 / — (पचास हजार रूपए केवल) निधि के मृतक सदस्य के नामनिर्देशिती या आश्रितों को मन्जूर कर सकेगा।"।

4. **नियम 280 का संशोधन.**——'उक्त नियमों' के नियम 280 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः——

**"280 हिताधिकारियों के लिए चिकित्सा सहायता.**——बोर्ड, हिताधिकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी अस्पतालों, औषधालयों और सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य अस्पतालों से, चिकित्सा बिलों को प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष, बाह्य चिकित्सा उपचार के लिए ₹ 10,000 / — (दस हजार रूपए केवल) और अन्तरंग चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए उपचार के लिए ₹ 30,000 / — (तीस हजार रूपए केवल) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता मंजूर कर सकेगा। और हिताधिकारी, ऐसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए वॉछित दस्तावेजों के साथ प्ररूप संख्या XLII पर आवेदन सचिव या प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।"।

5. **नियम 282 का संशोधन.**——'उक्त नियमों' के नियम 282 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः—

**"282 शादी के लिए वित्तीय सहायता.**——हिताधिकारी, सदस्यता के दो मास पूर्ण हो जाने के पश्चात् अपनी शादी के लिए ₹ 25,000 / —(पच्चीस हजार रूपए केवल) की वित्तीय सहायता और अपने दो बच्चों की शादी के लिए प्रत्येक को ₹ 25,000 / —(पच्चीस हजार रूपए केवल) की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। हिताधिकारी ऐसी सहायता के लिए सचिव या प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्ररूप संख्याः XLIV में आवेदन सचिव या प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।"।

6. **नियम 283 (ख) का संशोधन.**——'उक्त नियमों' के नियम 283 (ख) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा। अर्थातः—

**"283 (ख) महिला हिताधिकारियों के लिए साईकिल.**——महिला हिताधिकारी को, सदस्यता के दो मास पूर्ण करने के पश्चात्, नियन्त्रक, भण्डार, हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित दर संविदा पर

बोर्ड द्वारा केवल एक बार एक साईकिल प्रदान की जा सकेगी और यह सहायता परिवार में केवल एक महिला हिताधिकारी को दी जाएगी। ऐसी महिला हिताधिकारी जिन्होंने ₹ 3,000/– (तीन हजार रूपए केवल) की ऐसी वाहन सहायता पहले प्राप्त की है, इस सहायता को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी । उक्त हिताधिकारी द्वारा इस सहायता के लिए प्ररूप संख्याः XLVIII में, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन, सचिव या प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।"।

7. **नियम 283 (ग) का संशोधन.**––'उक्त नियमों' के नियम 283 (ग) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

**"283 (ग) चार बर्तनों के साथ इंडक्शन हीटर या सोलर कुकर.**––बोर्ड, हिताधिकारी या उसके परिवार को एक बार, नियन्त्रक, भण्डार, हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित दर संविदा के माध्यम से चार विनिर्दिष्ट बर्तनों के साथ एक इंडक्शन हीटर या हिमऊर्जा के माध्यम से एक सोलर कुकर उपलब्ध करवा सकेगा। हिताधिकारी द्वारा इस सहायता के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ, आवेदन प्ररूप XLVIII पर सचिव या प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।"।

8. **नियम 283 (घ) का संशोधन.**––'उक्त नियमों' के नियम 283 (घ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:––

**"283 (घ) हिताधिकारी, उसके पति/पत्नी उसके दो बच्चों के लिए कौशल विकास भत्ता.**––(1) बोर्ड, हिताधिकारी, उसके पति/पत्नी, उसके दो बच्चों तक कौशल विकास कोर्स करने के लिए ₹ 1500/– (एक हजार पांच सौ रूपए केवल) प्रतिमास की दर से कोर्स की अवधि के दौरान कौशल विकास भत्ता उपलब्ध करवा सकेगा।

(2) बोर्ड, सचिव या बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन, संस्थान की अपेक्षाओं के अनुसार कुल फीस, बोर्डिंग और लॉजिंग प्रभारों को संदत्त करने पर राज्य में या भारत में किसी सरकारी संस्थान से आवासीय कौशल विकास कोर्स कराने की व्यवस्था कर सकेगा।

(3) ऐसे कौशल विकास कोर्स के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु हिताधिकारी और उसके पति/पत्नी की दशा में 18 से 35 वर्ष और बच्चों की दशा में 15 से 35 वर्ष होगी। आयु को, शैक्षिक अर्हता प्रमाण–पत्रों से या अन्य दस्तावेजों जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण–पत्र, चालन अनुज्ञप्ति से सत्यापित किया जाएगा।

(4) हिताधिकारी, पति/पत्नी और उसके बच्चे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपने कौशल की अभिवृद्धि (अपग्रेडेशन) के लिए न्यूनतम 15 दिन की अवधि के और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए कौशल विकास कोर्स कर सकेगें :

परन्तु हिताधिकारी को वर्ष में किसी भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म में कम से कम 90 दिन के लिए कार्य करना होगा और इस प्रभाव का प्रमाण–पत्र वर्षानुवर्ष आधार पर सचिव या बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

(5) हिताधिकारी को, कौशल विकास भत्ता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों सहित प्ररूप XLVII में सचिव या प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(6) बोर्ड हिताधिकारियों को कौशल विकास के लिए अनुज्ञेय वित्तीय सहायता जमा अकुशल कर्मकार की न्यूनतम मजदूरी केवल उस संस्था से, जहां हिताधिकारी ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, प्रमाण–पत्र और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों को पेश करने के अध्यधीन प्रदान करेगा।

(7) कौशल विकास भत्ते की रकम कोर्स की अवधि के लिए अनुपाततः अनुज्ञेय होगी।

(8) यदि पति या पत्नी और बच्चों सहित हिताधिकारी झूठे दावे प्रस्तुत करता है, तो वह कौशल विकास भत्ते की संपूर्ण रकम बोर्ड को, शास्ति ब्याज सहित एक मुश्त संदत्त करने के लिए दायी होगा और, वह निधि का सदस्य नहीं रहेगा।"।

9. **नियम 283 (ङ) और नियम 283 (च) का अन्तःस्थापन.**——उक्त नियमों के नियम 283 (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नए नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात्:—

"**283 (ङ) सोलर लैम्प.**——बोर्ड, हिताधिकारी को नियंत्रक, भंडार, हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित दर संविदा पर, एक मुश्त प्रोत्साहन के रूप में एक सोलर लैम्प प्रदान कर सकेगा। हिताधिकारी द्वारा इस सहायता हेतु आवेदन, अपेक्षित दस्तावेजों सहित प्ररूप संख्या XLVIII में सचिव या बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

**283 (च) महिला हिताधिकारी के लिए वाशिंग मशीन.**——बोर्ड महिला हिताधिकारी को नियंत्रक, भंडार हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित दर संविदा पर, एक मुश्त प्रोत्साहन के रूप में एक वाशिंग मशीन प्रदान कर सकेगा। यह प्रसुविधा प्रति कुटुंब / परिवार केवल एक बार प्रदान की जाएगी। हिताधिकारी द्वारा इस सहायता के लिए आवेदन अपेक्षित दस्तावेजों सहित प्ररूप संख्या XLVIII में सचिव या बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।"

10. **प्ररूप XLVII और प्ररूप XLVIII का जोड़ना.**——उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप XLVI के पश्चात्, निम्नलिखित नए प्ररूप जोड़ जाएंगे, अर्थात्:—

(i) "**प्ररूप XLVII**

[नियम—283 (घ) देखें]

सेवा में,

सचिव / प्राधिकृत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार
कल्याण बोर्ड,———————— हिमाचल प्रदेश।

कौशल विकास भत्ता हेतु आवेदन।

1. हिताधिकारी / कर्मकार का ब्योरा :

| यहां पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं। |
|---|

(क) नामः————————————————————————————

(ख) रजिस्ट्रीकरण संख्याः————————————————————————

(ग) बैंक का नामः——————————————————————————

(घ) खाता संख्या :—————————————————————————

(ङ) आई एफ एस सी कोड संख्याः————————————————————————————————

(च) आधार कार्ड संख्याः————————————————————————————————————

2. पिता / पति का नामः——————————————————————————————————

3. स्थायी निवास का पताः————————————————————————————————

4. उस अभ्यर्थी का नाम जो कौशल विकास कोर्स/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है:——————————

5. रजिस्ट्रीकृत हिताधिकारी से संबंध:————————————————————————————

6. उस महाविद्यालय/संस्था का नाम और पता, जहां से कोर्स/प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है। कृपया उपदर्शित करें कि क्या कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रिय/राज्य सरकार संस्था के अधीन है, यदि हां, तो ब्यौरा दें: ————————————————————————————————————————

7. पाठ्यक्रम का नाम और अवधि:—————————————————————————————

8. पाठ्यक्रम में प्रवेश की तारीख:—————————————————————————————

9. पाठ्यक्रम पूर्ण होने की तारीख:——————————————————————————————

10. कौशल विकास कोर्स करने वाले व्यक्ति की आयु और जन्म की तारीख:————————— ——————————————————————————

11. उत्तीर्ण की गई अर्हता परीक्षा के ब्यौरे:————————————————

| परीक्षा का नाम | सम्बद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड/राज्य का नाम | अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने का मास और वर्ष |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

12. कुल फीस संरचना:————————————————————————————————

13. यदि कौशल विकास कार्यक्रम आवासीय है, केन्द्रीय राज्य संस्था में आवासीय है तो कृपया संस्था की अपेक्षाओं के अनुसार छात्रावास प्रभारों, बोर्डिंग और लॉजिंग प्रभारों, भोजन, पुस्तकों इत्यादि के ब्यौरे दें ।

14. कौशल विकास कोर्स करने हेतु ऊपर उल्लिखित समस्त ब्यौरे स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए संस्था से सबूत संलग्न किया जाए।

ऊपर उल्लिखित सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है। यदि भत्ते के लिए मेरा चयन होता है, तो मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं नियमों/स्कीम में नियत समस्त शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी।

(हिताधिकारी)/पति या पत्नी/बच्चों के नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख: ; और

(ii) "प्ररूप XLVIII

[नियम 283(ख), 283(ग), 283(ङ) और 283(च) देखें]

सेवा में,

सचिव / प्राधिकृत अधिकारी,

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार

कल्याण बोर्ड,———————— हिमाचल प्रदेश।

साईकिल / इंडक्शन हीटर / बर्तनों सहित सोलर कुकर / सोलर लैम्प / वाशिंग मशीन प्रदान करने हेतु आवेदन।

1. आवेदक का नामः

2. पता स्थायी और पत्राचारः

 (i) स्थायी पताः

 (ii) पत्राचार के लिए पताः

3. रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीखः

4. आयु और जन्म की तारीखः

5. प्रथम अभिदान के संदाय की तारीखः

6. सदस्यता की अवधिः

7. क्या सदस्यता जारी है ?

8. क्या आपको प्रयोजनार्थ सरकार या किसी अन्य संस्था से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ?

उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार सत्य है।

(आवेदक का नाम और पता)

स्थानः

तारीखः

आदेश द्वारा,
आर0 डी0 धीमान,
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A) 4-1/14- BOCW dated 14-08-2014 as required under article 348(3) of the Constitution of India*].

**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**

NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 14th August,* 2014

**No. Shram (A) 4-1/14-BOCW.**—In exercise of powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act,1996, the Governor of Himachal Pradesh, after consultation with the Expert Committee, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules,2008, notified vide this Department's notification No. Shram (A) 4-6/2007-BOCW dated 4th December, 2008 and published in Rajpatra Himachal Pradesh on dated 8th December, 2008, namely :—

1. **Short title.**—These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2014.

2. **Amendment of rule 277.**—In rule 277 of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the 'said rules'), for the words, figures and signs "₹ 5000/- (Rupees five thousand only)", the words, figures and signs "₹ 10,000/- (Rupees ten thousand only) shall be substituted.

3. **Amendment of rule 278.**—In rule 278 of the said rules,—

(a) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely:—

" Death benefit to the nominees, dependents of the beneficiary.";

(b) for sub-rule(1) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (1) the Board may sanction an amount of ₹ 1,00,000/- (Rupees one lac only) in the event of accidental death and ₹ 50,000/-(Rupees fifty thousand only) in the event of natural death or death caused by any other reason not covered under the above to the nominee or dependents of the deceased member of the fund.".

4. **Amendment of rule 280.**—For rule 280 of the 'said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

**"280 Medical Assistance to the Beneficiaries.**—The Board may annually sanction a financial assistance for medical reimbursement to beneficiary and his dependents, upto ₹ 10,000/- (Rupees ten thousand only) for out-door medical treatment and upto ₹ 30,000/- (Rupees thirty thousand rupees only) for in-door medical treatment, on production of medical bills from government hospitals, dispensaries and other hospitals approved by the Government.The beneficiary shall submit the application for such medical reimbursement to the Secretary or the authorized officer in form No: XLII alongwith requisite documents.".

**5. Amendment of rule 282.**—For rule 282 of the 'said rules' the following shall be substituted, namely:—

"**282 Financial Assistance for marriage.**—The beneficiary after completion of two months of the membership shall be eligible to get financial assistance of ₹ 25,000/- (Rupees twenty five thousand only) for his marriage and ₹ 25,000/- (Rupees twenty five thousand only) each for the marriage of two children only. The beneficiary shall submit the application for such assistance to the Secretary or the authorized officer in form No. XLIV alongwith requisite documents.".

**6. Amendment of rule 283 (B).**—For rule 283 (B) of the 'said rules' the following shall be substituted, namely:—

"**283 (B) Bicycle to the female beneficiaries.**—The female beneficiary after completion of two months of the membership may be provided a bicycle only once by the Board on rate contract approved by the Controller of Stores, Himachal Pradesh and this assistance will be provided to one female beneficiary in the family. Those female beneficiaries who have already availed such conveyance assistance of ₹ 3,000/- (Rupees three thousand only) shall not be eligible for getting this assistance. The application for this assistance shall be submitted by the said beneficiary to the Secretary or authorized officer in form No. XLVIII alognwith requisite documents.".

**7. Amendment of rule 283(C).**—For rule 283(C) of the 'said rules,' the following rule shall be substituted, namely :—

"**283 (C) Induction heater with four utensils or Solar cooker.**—The Board may provide one induction heater alongwith four specific utensils through rate contract approved by the Controller of Stores, Himachal Pradesh or one solar cooker through Himurja to a beneficiary or his family once. The application for this assistance shall be submitted by the beneficiary to the Secretary or authorized officer of the Board in Form No. XLVIII alongwith requisite documents." .

**8. Amendment of rule 283(D).**—For rule 283(D) of the 'said rules' the following rule shall be substituted, namely :—

"**283(D)Skill Development Allowance to the beneficiary, spouse and two children.**—(1) The Board may provide Skill Development Allowance for undertaking the skill development course to beneficiary, the spouse and upto two children at the rate of ₹ 1500/- (Rupees one thousand five hundred only) per month upto the duration of course.

(2) The Board may provide the residential Skill Development course from any Government institution in the State or within India by paying total fee, boarding and lodging charges, as per institutional requirement subject to production of requisite documents to the Secretary or authorized officer of the Board.

(3) For such Skill Development course minimum and maximum age limit for beneficiary and the spouse shall be between 18 to 35 years and for children between 15 to 35 years, which shall be verified from educational qualification certificates or the other documents *viz-a-viz* Adhaar Card, Voters ID Card, Birth Certificate, School Leaving Certificate, Driving License.

(4) The beneficiary, spouse and children may undertake skill development course for upgradation of their skill from any recognized institution for a minimum period of 15 days and maximum period of 3 years:

Provided that the beneficiary shall have to work atleast for 90 days in any building or other construction work in a year and certificate to this effect shall be required to be submitted to the Secretary or authorized officer of the Board on yearly basis.

(5) In order to avail Skill Development Allowance, the beneficiary shall have to submit application to the Secretary or authorized officer in Form No. XLVII alongwith the requisite documents.

(6) The Board may provide the admissible financial assistance for skill development plus minimum wages of unskilled worker to the beneficiaries only subject to production of certificate and other requisite documents from the institution where the beneficiary will undergo such training.

(7) The amount of Skill Development Allowance shall be admissible proportionately to the duration of course.

(8) In case the beneficiary including spouse and children prefer false claims, he shall be liable to pay whole amount of Skill Development Allowance in lump sum to the Board alongwith penal interest and he shall be ceased to be the member of the fund.".

**9. Insertion of rules, 283-(E) and rule 283-(F).**—After rule 283(D) of the 'said rules', the following new rules shall be inserted, namely:—

**"283 (E) Solar lamp.**—The Board may provide one Solar lamp as a one time incentive, on rate contract approved by the Controller of Stores, Himachal Pradesh, to the beneficiary. The application for this assistance shall be submitted by the beneficiary to the Secretary or authorized officer of the Board in form No. XLVIII alongwith requisite documents.

**283(F)Washing Machine for female beneficiary.**—The Board may provide one washing machine to female beneficiary as a onetime incentive on rate contract approved by the Controller of Stores, Himachal Pradesh. This benefit will be provided only once per family. The application for this assistance shall be submitted by the beneficiary to the Secretary or authorized officer of the Board in form No. XLVIII alongwith requisite documents.".

**10. Addition of Forms XLVII and XLVIII.**—After form XLVI appended to the said rules, the following new forms shall be added, namely:—

(i) **"Form XLVII**

[*See* rule-283(D)]

To

The Secretary/Authorized Officer,
H.P. Building and other Construction
Workers Welfare Board,
_________________ H.P.

APPLICATION FOR SKILL DEVELOPMENT ALLOWANCE.

1. Detail of the beneficiary/worker:
   (a) Name :______________________

   (b) Registration No:_________________________________

   (c) Name of the Bank:_______________________________

   (d) Account No: ___________________________________

   (e) IFSC Code No:_________________________________

   (f) Adhar Card No: ________________________________

Affix here passport size photograph

2. Father/Husband's Name:_____________________________________________________

3. Permanent Home Address:___________________________________________________

4. Name of candidate undergoing skill development course/training:____________________

5. Relation with the registered beneficiary:_________________________________________

6. Name & address of college/institution Where course/training is to be undertaken Please indicate whether skill development training is under Central/State Government institution, if so, give detail:____________________________________________________________

7. Name and duration of course:__________________________________________________

8. Date of the admission to the course:____________________________________________

9. Date of completion of course:_________________________________________________

10. Age and Date of Birth of person Undertaking skill development course:________________

11. Details of qualifying examination passed:________________________________________

| Name of examination | Name of affiliated University / Board/State | Month & year of passing qualifying examination |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

12. Total fee structure:___________________________________________________________

13. If skill development programme is residential in Central/State institution, please give detail of hostel charges, boarding lodging charges, food, books etc, as per institution requirements.

14. Proof from institution for undertaking skill development course, be enclosed indicating clearly all the details mentioned above.

The above mentioned information is true to the best of my knowledge. If selected for the allowance, I promise that I will abide by all the conditions stipulated in the Rules/ scheme.

(Name & Signature of the beneficiary/spouse/children)

Place:

Date:

; and

(ii) **"Form XLVIII**

[See rule-283(B), 283(C), 283(E) & 283 (F)

To

The Secretary/Authorized Officer,
H.P. Building and other Construction
Workers Welfare Board,
__________________ H.P.

Application for providing Bicycle/ Induction Heater/ Solar Cooker with Utensils/Solar Lamp / Washing Machine.

1. Name of applicant:
2. Address (Permanent and Correspondence):
   (i) Permanent Address:
   (ii) Correspondence Address:
3. Registration No. and Date:
4. Age and Date of Birth:
5. Date of payment of first subscription:
6. Duration of membership :
7. Is membership continuing ?
8. Are you in receipt of any financial assistance for the purpose from Government or any other institution?

The above facts are true to the best of my knowledge and information.

(Name & Signature of the Applicant)

Place:

Date: .".

By order,
R. D. DHIMAN,
*Principal Secretary ( Lab. & Emp.)*